पत्र संख्या- स0द0-33-समाचार पत्र - पेपर कटिंग /सामान्य निर्देश/ कम्प्यू0 सं0- **1213022** / 502/वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्यकर , उ0प्र0
(सचलदल अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक:: **12** **जून 2012**

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0/
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 वाणिज्य कर, उ0प्र0/
ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर , उ0प्र0/

सामान्यत: यह पाया गया है कि फील्ड में कार्यरत अधिकारियों के साथ उनके कार्य निष्पादन के समय यदि कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा मारपीट की जाती है अथवा उनके राजकीय कार्य के निष्पादन में बाधा पहुँचायी जाती है , तो इसकी सूचना मुख्यालय तुरन्त प्रेषित नही की जाती है । ऐसी घटनाओं की सूचना मुख्यालय स्तर पर कुछ समय पश्चात समाचार पत्रों के माध्यम से अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त होती हैं । यह स्थिति नितान्त अनुचित है ।

अत: इस संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि -

1- यदि इस प्रकार की घटना घटित होती है,तो सम्बन्धित सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) अथवा ज्वाइन्ट कमिश्नर ((वि0अनु0शा0) का यह दायित्व होगा कि वे उक्त घटना के सम्बन्ध में दूरभाष पर अथवा एस0एम0एस0 के माध्यम से कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को अविलम्ब अवगत कराएंगे ।

2- घटना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अपनी आख्या के साथ अगले कार्य दिवस तक मुख्यालय फैक्स अथवा विशेष पत्र वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे ।

3- घटना से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अविलम्ब Criminal Law Amendment Act 1932 की धारा 7 के साथ अन्य सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करायी जाएगी ।

4- सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) अथवा ज्वाइन्ट कमिश्नर ((वि0अनु0शा0) द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ घटनाक्रम के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत भेंट कर अवगत कराया जाए । यदि उस जनपद में मण्डलायुक्त एवं आई0जी0/ डी0आई0जी0 भी तैनात हैं तो उन्हें भी घटना क्रम से व्यक्तिगत भेंट कर अवगत कराया जाए ।

5- वि0अनु0शा0 एवं सचलदल अधिकारियों द्वारा जांच के समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त सतर्कता बरती जाए , इस सम्बन्ध में जांच के पूर्व यह आंकलन भी उचित होंगा कि जांच स्थल

अथवा अन्य किसी प्रकार की जांच की संवेदनशीलता कितनी है । तद्नुसार सुरक्षा सम्बन्धी समस्त मानकों को ध्यान में रखकर ही जांच कार्यवाही सम्पादित की जाए ।

6- जांच के समय मोबाइल एवं दूरभाष के माध्यम से जांच कार्यवाही की सूचना ऐसे तत्वों को पहुॅचने की संभावना अत्यन्त प्रबल रहती है जिनके द्वारा जांच कार्यवाही में बाधा पहुॅचायी जा सके । अत: जांच के समय इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाए कि जांच कार्यवाही से सम्बन्धित किसी प्रकार की सूचना जांच के कार्य स्थल से बाहर न जा सके । इसके लिए ऐसे मोबाइल एवं दूरभाष पर विशेष निगरानी की आवश्यकता है ।

7- जांच के समय विभागीय परिचय-पत्र अधिकारी के पास उपलब्ध रहेगा ।

8- जांच के समय अधिकारियों द्वारा शालीनता एवं संयतपूर्ण व्यवहार रखा जाए ।

9- उपर्युक्त सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने /कराने का दायित्व जोनल एडीशनल कमिश्नर एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 का भी होगा ।

उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये इससे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत करायें ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर , उ0 प्र0 के आदेशों के क्रम में जारी किया जा रहा है ।

ह0/-
(कामिनी चौहान रतन)
एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर,
उ0प्र0 , लखनऊ ।